कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा–मा / सी–5 / स्थानांतरण / भूगोल / 2019–20 / 1–575 दिनांक 29 / 09 / 19 के तहत राजेश कुमार व्याख्याता भूगोल का स्थानांतरण राउमावि. पक्का भादवा 15 JDW हनुमानगढ से राउमावि. पान्डूसर हनुमानगढ किया गया । राजेश कुमार ने अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2894 / 19 राजेश कुमार बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं अन्य दायर की माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 23 / 10 / 19 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में रिक्त पदों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने एंव प्रत्यर्थी विभाग को स्थानांतरण पर लगी रोक हट जाने के बाद उसके अभ्यावेदन का सकारण निस्तारण करने का आदेशित किया है ।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी राजेश कुमार ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माता पिता का इकलौता पुत्र होने, पुत्री के अध्ययन में बाधा एंव पत्नी के इलाज के आधार पर अपना पदस्थापन 01. व्याख्याता भूगोल डाईट हनुमानगढ 02. कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ 03. कार्यक्रम अधिकारी, एडीपीसी समसा हनुमानगढ की परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन / स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित / राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन / स्थानांतरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का पदस्थापन हनुमानगढ जिले में ही किया, किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी अपने स्थानान्तिरत स्थान पर दिनांक 21.10.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए किए स्थानांतरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / सी–5 / राजेश / 2894 / 2019 / 19–20 / 9 दिनांकः– 28/10/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य / कार्मिक / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

abhyavedan